

05-1-2021

वकील प्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा के
द्वारे अदालत के माध्यम से प्रार्थना की जाये।
प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाये। स्थान पर
वकील वकील प्रार्थी एकपक्षीय खुली गयी। पत्रावली
व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन
किया गया एवं वकील वकील प्रार्थी पर सगौर
मन्न किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला
प्रार्थी के पक्ष में पाया जाने पर अप्रार्थीगण
को अनारिम् अन्ति से पाबंद किया जाना न्याय-
संगत प्रतीत होता है।


अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख
पेशी तक जरिये अनारिम् अस्थापी निषेधाज्ञा
पाबंद किया जाता है कि वादगुस्त आराजी ख.
नं. 521, 522 तन ग्राम भवानीपुरा पंच
चौमु पुरोहितान तहसील श्रीमधोपुर जिला
सीकर (राज.) के राजस्व रिकार्ड व मौके की
वर्तमान यथास्थिति (as on today) बनाये रखे।
उक्त आदेश शास्त्रों पर लागू नहीं होगा। उक्त
आदेश उल्लेखित करते हुए अप्रार्थीगण को सम्मन
जारी होकर पत्रावली दिनांक 04.2.2021 को
पेश हो।

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

03-2-2021

वकील उत्पी द्वारा प्रस्तुत प्राप्पत्र मिसल तलबी
(शामिल शूल वादपत्र) स्वीकार किया जाने पर
पत्रावली मिसल तारीख पेशी से तलब की
भाक आज पेश हुई। दस्तगत प्राप्पत्र न. 1- से
सम्बन्धित शूल वादपत्र आज वानी द्वारा किश
किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में दस्तगत
प्राप्पत्र न. 1- में भागे कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकार इमी स्तर पर
वर्णन किया जाता है। पत्रावली फैनल शुमार
दोकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक
03-2-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश कुमार)

RAJ
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डला
(फास्ट ट्रेक) खण्डला